

राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

क्रमांक: मु0त0ज0/ 227

दिनांक: - 23/3/2002

अध्यक्ष,
मानसरोवर, मुस्लिम बजलफायर, सोसायटी,
मानसरोवर, जयपुर।

विषय:-- डिस्ट्रिक्ट जल ऑफिस प्रोपर्टी रेगुलेशन 1970 की धारा 34 के अन्तर्गत मण्डल की मानसरोवर योजना में आवंटित भूमि का आवंटन पत्र।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि सम्पत्ति आवंटन समिति को दि० 28-01-2002 को आयोजित बैठक के निर्णय बिन्दु संख्या-13 के अन्तर्गत लिखे गये निर्णयानुसार मण्डल द्वारा आपको संस्था को मण्डल की मानसरोवर योजना के तहत-3 में 1000 वर्ग मीटर भूमि मास्जद निर्माण हेतु आवंटित किये जाने का निर्णय लिया गया है। यह आवंटन डिस्ट्रिक्ट जल ऑफिस प्रोपर्टी रेगुलेशन 1970 की समस्त शर्तों के अनुसार होगा।

भू-खण्ड की कीमत का विवरण :-

1. भूखण्ड की कीमत रु. 1276/- प्रति वर्गमीटर की दर से	12,76,000.00
2. विविध खर्च की राशि	38,280.00
3. लीज राशि रु. एक वर्ष की दर से	31,900.00
योग	13,46,180.00
पूर्व में जमा 2 प्रतिशत राशि रु. 100/-	25,520.00
शेष जमा कराने योग्य राशि -	13,20,660.00

उपरोक्त राशि 13,20,660/- रुपये का डिमाण्ड ड्राफ्ट राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर के नाम से बनाकर इस पत्र के जारी होने की दिनांक से तीन माह की अवधि में संलग्न बालान के द्वारा जमा कराकर बालान को तृतीय प्रति एवं वॉल्विड प्रपत्र पूर्ण करके इस कार्यालय में प्रस्तुत करें।

आवंटन की शर्त:-

§1. उपरोक्त राशि निर्धारित अवधि में जमा नहीं कराने पर भूखण्ड का आवंटन बिना किसी पूर्व सूचना के निरस्त कर दिया जावेगा एवं मण्डल इस भूमि को किसी अन्य संस्था को आवंटन करने हेतु पूर्ण स्वतन्त्र होगा।

2
महानगर प्रमुख
राजस्थान आवासन मंडल
जयपुर